न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/71/2008	2008/00001	09.06.2008	18.03.2024

1.रामकिशन पुत्र श्री चन्दगोराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम हयातपुर तहसील व जिला गुडगांव, राज्य हरियाणा।

अपीलान्ट

बनाम

1.नगर विकास न्यास, अलवर जरिये अध्यक्ष/सचिव नगर विकास न्यास अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपीत आज्ञा विरूद्ध तहसीलदार अलवर निर्णय दिनांक 20.02.2008 जिसके द्वारा इन्तकाल नं0 1245 यूआईटी अलवर के नाम दर्ज किया गया।

उपस्थितः—

01 श्री अशोक कुद्दल —वकील रेस्पोडेण्ट

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर, तहसील अलवर दिनांक 20.02.2008 नामान्तकरण संख्या 1245 जिसके द्वारा नामान्तकरण स्वीकार किए जाने से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील में वर्णित तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नं0 1264 रकबा 0.22, 1265 रकबा 0.30 व 1269 रकबा 0.40 किता 3 रकबा 0.92 वाके ग्राम अलवर नं0 1 को मिन अपीलान्ट ने पूर्व खातेदार श्री नारायण उर्फ रामनारायण पुत्र सुखा माली सा0देह खातेदार से बजरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 08.09.2006 के खरीद किया और मौके पर कब्जा प्राप्त किया है। उक्त बय का इन्तकाल संख्या 1149 दिनांक 30.10.06 को स्वीकार होकर इसका अमल जमाबन्दी संवत् 2062,65 में हुआ है। इस प्रकार अपीलान्ट उक्त आराजी का बोनाफाईड पर्चेजर व खातेदारके रूप में मौके पर वक्त खरीद से काबिज चला आ रहा है। इसके बाद मिन अपीलान्ट ने उक्त आराजी में से कुछ आराजी का विक्रय श्रीमती अनिता पत्नी लक्ष्मीनारायण खत्री निवासी बसन्त विहार अलवर को विक्रय कर दिया, जिसका इन्ताकाल संख्या 1237 दर्ज वो मंजूर होकर कागजात माल में अमल हो चुका है। शेष आराजी बदस्तुर अपीलान्ट की कब्जे काश्त खातेदारी में चली आ रही है। किन्तु तहसीलदार साहब अलवर ने इन्तकाल संख्या

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

1245 बहक रेस्पाडेन्ट दिनांक 20.02.2008 को स्वीकार कर लिया, जो आज्ञा मिन अपीलान्ट को बिना सुने व बिना तलब दिए बाला–बाला पारित की गई है। रेस्पॉडेन्ट उक्त आराजी में अब प्लाट काट कर उन्हे बजरिये नीलामी के बेवान करने पर उतारू है, जिस आशय की एक सार्वजनिक सूचना रेस्पा0 द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में दिनांक 18.05.2008 को प्रकाशित करायी गयी, जिसमें नीलामी की दि0 23.05.2008 मुकर्रर की गयी थी। उक्त सूचना की जानकारी मिन अपी0 को उसके एक मित्र ने दूरभाष पर दी, जिस पर अपीलान्ट ने अलवर आकर नकल हेतु आवेदन–पत्र पेश किया तथा इसके बाद वकील साहब से कानूनी सलाह मशवरा किया तत्पश्चात जानकारी को दिनांक 23.05.2008 से यह अपील बिना देरी के अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। चूंकि आज्ञा में अपील पारित करते समय अपीलान्ट को नही सुना गया, ना ही नोटिस देकर तलब किया गया। इसलिए इजाजत हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र धारा 96 के तहत प्रस्तुत किया जा रहा है तथा दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी अलग से पेश किया जा रहा है। अपील हाजा जानकारी की तारीख 23.05.2008 से मामुलन अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अपील हाजा पर कोर्टफीस 2 रूपये चस्पा है। तहत आदालत श्रीमान तहसीलदार साहब अलवर की आज्ञा जेर अपील बाबत इन्तकाल के विरूद्व अपील हाजा अदालत श्रीमान् के श्रवण योग्य है। इन्तकाल अन्तर्गत आराजी को आज तक नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अवाप्त नहीं किया गया है, ना कोई अवाप्ती का नोटिस मिन अपीलान्ट को मिला है, ना कोई मुआवजा दिया गया है, ना कब्जा लिया गया है, ना कोई अवाप्ती की कार्यवाही की गई है। इस प्रकार रेस्पा0 नगर विकास न्यास अलवर का इन्तकाल अन्तर्गत आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार किसी प्रकार का नहीं है। इन्तकाल अन्तर्गत आराजी पर रेस्पा0 का कोई कब्जा नही है ना कोई अवाप्ती की कार्यवाही अमल में लायी गयी है। इसलिए आज्ञा जेर अपील निरस्त किए जाने योग्य है। तहत अदालत ने आज्ञा जेर अपील पारित करने से मिन अपी0 को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है, ना कोई नोटिस जारी किया है। उक्त कार्यवाही इकतरफा में बाला–बाला करते हुए न्याय के कुदरती सिद्वान्तों के विपरीत आज्ञा जेर अपील पारित की गयी है। जबकि अपीलान्ट को सुना जाना न्यायहित में कानून जरूरी था। इसलिए आज्ञा जेर अपील काबिल खारिज है। आज्ञा जेर अपील बिना कोरम पूरा हुए पारित की गयी है, इसलिए आज्ञा जेर अपील विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने के कारण काबिल खारिज है। रेस्पॉडेन्ट नगर विकास न्यास आज्ञा जेर अपील की आड में इन्तकाल अन्तर्गत आराजी से मिन अपीलान्ट को बेदखल कर नाजायज कब्जा करके बजरिये नीलाम प्लाट बनाकर बेचने पर उतारू है। यदि रेस्पॉडेन्ट ने ऐसा कर दिया तो मिन अपीलान्ट को अजहद नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। इसलिए आज्ञा जेर अपील खारिज दिए जाने योग्य है। रेस्पॉडेन्ट का इन्तकाल अनतर्गत आराजी से कोई लेना–देना किसी प्रकार का नहीं है। इसलिए आज्ञा जेर अपील खारिज दिए जाने योग्य है। अन्य वजूहात वक्त बहस जुबानी ओर अर्ज कर दिये जायेगे।

अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर आज्ञा अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार अलवर दिनांक 20.02.2008 बाबत्

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर आज्ञा अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार अलवर दिनांक 20.02.2008 वावत् इंतकाल संख्या 1245 वाके अलवर नम्बर 1 जो बहक रेस्पोडेन्ट नगर विकास न्यास, अलवर स्वीकार किया गया है, जो मन्सुखा फरमाया जावे।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलाण्ट अनुपस्थित। विद्वान वकील रेस्पो0 की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन किया। अपील में अपीलान्ट द्वारा मुख्य तर्क बताये गये हैं कि विवादित आराजी नगर विकास न्यास द्वारा न तो अवाप्त की गई है और न ही अवाप्ति के संबंध में कोई नोटिस मिन अपीलान्ट को दिया गया है और न ही कोई मुआवजा दिया गया है। आराजी से मिन अपीलान्ट को बेदखल कर नाजायज कब्जा करके प्लॉट को बेचने पर उतारू हैं। अपील के समर्थन में अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार के साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नही किए गए हैं। मात्र इन्तकाल की प्रति पेश की है। अपीलान्ट द्वारा अपील में जिस आदेश से इन्तकाल दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है, में किसी प्रकार की त्रुटि का भी उल्लेख नहीं किया गया है। विवादित इंतकाल आदेशों की पालना में विधिवत दर्ज कर स्वीकार किया गया है। अपील अपीलान्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर द्वारा दर्ज व स्वीकार नामान्तकरण संख्या 1245 पारित निर्णय दिनांक 20.02.2008 वाके ग्राम अलवर नं0 1 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)